संख्या–/XXVIII(1)/2019-51/2012(हल्द्वानी)

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 09 मार्च 2019

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के अर्न्तगत एम0बी0बी0एस0 सीटों की क्षमता 100 से बढाकर 150 किये जाने हेतु निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4295/चि0शि0/12/82/2018 दिनांक 24.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी की एम0बी0बी0एस0 सीटों की क्षमता 100 से बढाकर 150 किये जाने के संबंध में प्रथम चरण के निर्माण कार्यो हेतु **टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण संस्तुत योजना की लागत, जिसमें सिविल कार्यो हेतु रू0 4468.21 लाख तथा अधिप्राप्ति कार्यो हेतु रू0 1388.97 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 5857.18 लाख** के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत लागत **कुल रू0 5655.00 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि **रू0 15.00 करोड (रू0 पन्द्रह करोड मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के संगत मद में उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन न तो पुनरीक्षित किया जायेगा और न ही कोई आगणन स्वीकार किया जायेगा।
2. योजना आगणन में प्रथम चरण हेतु शासनादेश सं0 275/XXVIII(1)/2018-51/2012(हल्द्वानी) दिनाक 06 मार्च, 2018 द्वारा स्वीकृत रू0 165.21 लाख का आगणन में से कम कर दिया गया है।
3. योजना निर्माण करते समय एम0सी0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. वर्तमान परिदृष्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु Buildings के संबंध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाये।
5. सौर उर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाये।
6. निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एंव अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Strauctural Design सक्षम स्तर से कराया जायेगा, साथ ही Reinforcement की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जायेगा तथा बचत के संबंध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा।
8. Electrical Items जैसे Switches, Wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि Toilet items, wood Items आदि की Market Sarvey कर डी0पी0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय्

स्थापित कर लिया जाय। प्रोक्योरमेन्ट मदों के सम्बन्ध में कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार की जाय।

9. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियॉ भी उल्लिखित है। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है। यह सही है कि मदें डी0एस0आर0 में है, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

10. उक्त निर्माण कार्य चरणबद्ध (Phase wise) तरीके पूर्ण किया जायेगा अर्थात एक भवन का निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात ही दूसरे भवन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

13. उपरोक्त के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष भवन के प्लान, डिजाइन Stuctural Desigs, Items के विशिष्टियों पर Counter sige अवश्वय करें ताकि भविष्य में भवन के प्लान, डिजाइन या Items के विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contracor द्वारा अपने स्तर से परिवर्तन कर भवन की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

14. निर्माण कार्यो एंव अधिप्राप्ति संबंधी सभी प्रकार के कार्यो की Meseaurement (MB) का भौतिक सत्यापन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता के द्वारा प्रतिहस्ताक्षित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

15. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त कार्य योजना स्वीकृत आगणन के अनुसार स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

16. कार्य योजना पर भारत सरकार एंव कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एंव विभाग द्वारा नियम/प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

17. कार्य योजना नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

18. कार्ययोजना कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण सक्षम स्तर की संस्तुति प्राप्त की जाये तथा संस्तुति के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप की कार्य कराया जाए।

19. कार्ययोजना का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर ही विस्तृत आगणन से प्राविधानित डिजाइन एंव मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगें।

20. कार्ययोजना की स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एंव तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानो के परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। शासनादेश सं0–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 कें अनुसार कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 आवश्यक हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. परियोजना को प्रचलित नियमानुसार दरों के आधार पर आगणन तैयार किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन किया जायेगा। अतः इस शर्ते के साथ स्वीकृति दी जाती है कि कार्यदायी संस्था अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा नियमों का अक्षरशः पालन करेंगें तथा सुनिश्चित करेंगें।

22. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन किया जाए।

23. कार्ययोजना/अधिप्राप्ति कार्यो का आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0105–राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी में एम0बी0बी0एस0 सीटों में बढोत्तरी के मानक मद– 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन के अशा0 सं0–219(म0)/XXVII(3)/2018, दिनांक–09 मार्च, 2019 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई0डी0 संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या 302/**XXVIII(1)/2019-51/2012**(हल्द्वानी) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
7. महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी इकाई, हल्द्वानी।
9. बजट प्रकोष्ट, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।